न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/17/2021

विजयसिंह पुत्र छोटल्ली जाति जाटव निवासी कमलपुरा वार्ड संख्या 01 तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 31.12.2019 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 16.03.2022**

अपीलाण्ट ने यह अपील (मय म्याद अधिनियम धारा 5) जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 31.12.2019 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी भरतपुर रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 06.03.1991 को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार प्रपत्र संख्या 460/91 में जारी किया गया था। अपीलान्ट वार्ड संख्या 22(बी) शहर भरतपुर रंजीतनगर भरतपुर के वार्डवासियों को राशन वितरण (खाद्यान्न) के लिए अधिकृत किया। वर्तमान में प्रार्थी को खाद्यान्न वितरण केन्द्र उचित मूल्य दुकानदार (12019) वार्ड संख्या 01 भरतपुर हो गया है तथा खाद्यान्न का वितरण का कार्य कर रहा है। प्रार्थी के वार्ड संख्या 01 की दुकान के लिए आवेदन की जानकारी माह अगस्त 2021 में समाचार पत्रों

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

के माध्यम से हुई जिसमें जिले में स्थित 46 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन मांगे गये। प्रार्थी द्वारा कार्यालय में सम्पर्क किया गया व वार्ड संख्या 01 की उचित मूल्य की दुकान खाद्यान्न वितरण रिक्त नही है व मैं दुकान चला रहा हूं जबकि आप द्वारा गलत रूप से वार्ड संख्या 01 की दुकान को रिक्त बताया है। कार्यालय में सम्पर्क करने व पत्रावली देखने पर अवगत कराया गया कि आपका प्राधिकार पत्र आपके जनप्रतिनिधि पार्षद होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। जबकि उक्त प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की कोई सूचना नही दी गई थी। जिसकी अपीलान्ट ने दिनांक 09.08.2021 को ही उक्त निरस्तीकरण प्राधिकार पत्र आदेश की नकल के लिए आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 13.8.2021 को प्राप्त हुई । रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 31.12.2019 कतई गलत, खिलाफ कानून तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध है। राजस्थान खाद्यान्न आदेश 1976 की धारा 8 में प्राधिकार के निलम्बन एवं रददीकरण की शक्तियां दी गई है जिसके उपधारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि इस आदेश के रददकरण का कोई भी आदेश जब तक नही दिया जायेगा तब तक प्राधिकार पत्र की प्रस्तावित रददकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया है। प्रार्थी को रेस्पो0 द्वारा प्राधिकार पत्र के रददकरण से पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया तथा रददीकरण के बाद भी प्रार्थी को कोई सूचना दी गई। अपीलाधीन प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है, इसलिए यह आदेश खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन आदेश में वर्णित किया है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड (3)के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि उचित मूल्य दुकान नही रह सकता है। इस आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। राजस्थान सरकार खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 03.02.2021 से राज0 खाद्यान्न आदेश 1976 के खण्ड 3 में संशोधन कर खण्ड 3 के उपखण्ड 1 के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया गया है। जब राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से राज0खाद्यान्न आदेश 1976 की धारा 3 के उपखण्ड 1 के परन्तुक को विलोपित किया जा चुका है तो अपीलान्ट के आदेश का आधार ही समाप्त हो गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की कोई सूचना नही दी थी। उक्त आदेश की जानकारी नकल प्राप्त करने हुई थी इसलिए जानकारी होने से अन्दर म्याद अपील पेश है, साथ ही डिले का कन्डोन करने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 31.12.2019 को निरस्त कर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्व पारित आदेश दिनांक 31.12.2019 सही व विधि अनुरूप पारित किया गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) लोक सेवक के परन्तुक के सबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिसके आधार

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 वार्ड संख्या 01 शहर भरतपुर नगर निकाय चुनाव में अपीलान्ट पार्षद निर्वाचित हुआ है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड (3) के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि उचित मूल्य दुकानदार नही रह सकता है। इस आधार पर अपीलान्ट विजयसिंह उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 01 शहर भरतपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अधिसूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर दिनांक 03.02.2021 की प्रति पेश की है जिसमें राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में खण्ड 3 के उप–खण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया गया है। इसी परिपेक्ष्य में पैरोकार रसद द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के पेज संख्या 321–322 की प्रति पेश की है जिसमें राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 लोक सेवक के परन्तुक के सबंध में स्पष्टीकरण खण्ड 3 (1) जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.97 (26) खा.वि./सा.वि.प्र./2000 जयपुर दिनांक 25.05.2005 में स्पष्टीकरण जारी किया है कि "जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषदों के समस्त सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समितियों के समस्त सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत के वार्ड सदस्य सभी पंचायत राज संस्था के सदस्य है। नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों/नगर निगमों के समस्त पदाधिकारी (मेयर, डिटी मेयर, चैयरमैन, डिप्टी चैयरमैन आदि) सभी पार्षद/वार्ड मैम्बर स्थानीय निकायों के सदस्य है। प्राधिकार पत्र तुरन्त ही निरस्त किया जाकर नये व्यक्ति की नियुक्ति निर्धारित प्रकिया अनुसार की जावें"। इससे स्पष्ट है कि कोई लोक सेवक या उचित मूल्य दुकानदार के पद पर रहते हुये किसी पंचायती राज संस्था या स्थानीय निकाय संस्था सदस्य के पद पर निर्वाचित होने की दशा में लोक सेवक या उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र तुरन्त ही निरस्त किया जाकर निर्धारित प्रकिया अनुसार नये नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रति अधिसूचना दिनांक 03.02.2021 की प्रस्तुत की है जिसमें राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में खण्ड 3 के उप–खण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया गया है, जबकि अपीलाधीन दिनांक 31.12.2019 का है। अतः उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव अपीलाधीन आदेश पर लागू किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः हमारे न्यायिक मत में अपीलाधीन आदेश में त्रुटि नहीं होने से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य रहती है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 16.03.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर